फर्द अहकाम

तारा चन्द **बनाम** मुलाना आदि

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 06

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 16/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	16/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेशार्थ विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस को श्रवण किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राज० भू राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली के विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज हस्ताक्षरित कर सुनाया गया। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर नकल निर्णय की तरह बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(1/2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
06/2024	23/01/2024	16/01/2025

1. ताराचन्द सोनी पुत्र गुलाबचन्द सोनी आयु 45 साल जाति सोनी निवासी सोनी निवास, मकान नम्बर एन–72 हनुमान वाटिका सेकण्ड अजमेर रोड जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. जूवाना पुत्र भूरा
2. बाबूलाल पुत्र भूरा
3. बोदू पुत्र भूरा
4. दुलाराम पुत्र भगवान सहाय
5. मेवाराम पुत्र भगवान सहाय
6. रमेश पुत्र भगवान सहाय
7. रामसुख पुत्र भगवान सहाय
8. नन्छीदेवी पत्नि ठण्डूराम
9. प्रकाश पुत्र ठण्डूराम
10. बनवारी पुत्र ठण्डूराम
11. श्रीराम पुत्र ठण्डूराम
12. सुनीता पुत्र ठण्डूराम
13. भोला पुत्र तेजा
    समस्त आयु वयस्क समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासी ग्राम धीरावास तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा, रिकार्ड दुरूस्ती

नक्शा तरमीम अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की शामलाति ातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 2.7100है0, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.0100है0, ग्राम रावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से गते अप्रार्थी सं0 1 लगायत 13 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 1.5400है0, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.0100है0 स्थित है। हाल किये गये नवीन सैटलमेंट में प्रार्थी की भूमि साबिका खसरा म्बर 88/2 मि0 नवीन खसरा नम्बर 136 रकबा 2.7100है0 तथा साबिक खसरा नम्बर 88/2 मि0 नवीन खसरा नम्बर 135 रकबा 0.0100है0 बनाये गये है। एवं अप्रार्थी सं0 1 लगायत 13 की ातेदारी भूमि का साबिका खसरा नम्बर 88/180 मिन के नवीन खसरा नम्बर 134 रकबा 1.5400है0, सरा नम्बर 133 रकबा 0.0100है0 बनाये गये है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 3/2 मिन के नवीन खसरा नम्बर 136, 136 पर प्रार्थी पूर्वानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी की उक्त मि से लगते अप्रार्थी सं0 1 लगायत 13 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 134, 133 का राजस्व नक्शें उत्तर पूर्व दिशा का रकबा बढा कर एवं प्रार्थी की भूमि का उत्तर पूर्व दिशा की ओर रकबा कम र दक्षिण की ओर का रकबा बढा कर अंकित कर दिया है। प्रार्थी के गत खसरा नम्बर 88/2 मिन

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

के नवीन खसरा नम्बर 136, 135 को नवीन नक्शें में वास्तविकता से परे उत्तर पूर्व दिशा की ओर से रकबा कम कर राजस्व नक्शें मे दक्षिण दिशा की ओर रकबा बढा कर अंकित कर दर्शाया है। नक्शें में हाल सैटलमेंट में खसरा नम्बर 136, 135 के नक्शा तरमीम को मौके पर कब्जे व पूर्व नक्शें के अनुसार नही कर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 13 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 134, 133 का रकबा बढाकर अवैध रूप से अंकित कर दिया गया है जो मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नही है। नवीन खसरा नम्बर 136, 135 मौके पर कृषि भूमि है तथा सैटलमेंट विभाग ने अवैध रूप से गत खसरा नम्बर 88/2 मिन कि कब्जे काश्त की भूमि को उत्तर पूर्व दिशा की ओर से कम कर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 13 के नवीन खसरा नम्बर 134, 133 का अंकन कर अप्रार्थी की भूमि का रकबा बढा कर अवैध रूप से नक्शें में अंकन कर दिया जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का पूर्वानुसार कब्जा काश्त है। नवीन खसरा नम्बर 136, 135 के गत खसरा नम्बर 88/2 मिन की दुरूस्ती कर भूमि दुरूस्त नक्शा पूर्व नक्शा अनुसार कायम किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी रजि0 ए0डी0 से करवाई गई। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 13 बावूजद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 13 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 14/पैरोकार सरकार ने अपने पत्रांक/भू0अ0 /2024/1264 दिनांक 23.09.2024 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 14/पैरोकार सरकार ने जवाब मे निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 133 रकबा 0.01है0, 134 रकबा 1.54है0, 135 रकबा 2.71है0 वाकै ग्राम धीरावास तहसील जमवारामगढ जमाबन्दी के अनुसार संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। उपरोक्त आराजीयात के गत खसरा नम्बर 88/180 मि. रकबा0.01है0, 88/180 रकबा 1.54है0, 88/2 रकबा 0.01है0 एवं 88/2 रकबा 2.71है0 दर्ज रिकार्ड है, जिनका गत नक्शा संलग्न नक्शें के अनुसार था परन्तु वर्तमान भूप्रबंध मे बनाये गये खसरा नम्बर 133, 134, 135 का नक्शा पूर्व नक्शें से भिन्न आकृति में बनाया गया है। अतः वर्तमान नक्शें मे गत नक्शें के सापेक्ष प्रस्तावित नक्शें के अनुसार संशोधित किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम धीरावास तहसील जमवारामगढ में स्थित उक्त वादांकित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 133, 134, 135, 136 के हाल नक्शा तरमीम को गत खसरा नम्बर 88/2मिन, व खसरा नम्बर 88/180 मिन केनक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 16.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़